क्रम. बैंक का नाम	1997	1996	1995
इंडियन ओवरसीज बैंक	1433923	1273986	970067
ओकयिंटल बैंक आफ कॉमर्स	961335	819224	665006
पंजाब एंड सिंध बैंक	394360	545495	487842
पंजाब नेशनल बैंक	2891037	2703326	2399964
सिंडिकेट बैंक	1198909	1068417	1001298
यूको बैंक	1007731	897137	835481
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	1006674	1725988	1530629
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	986891	843111	771818
विजपा बैंक	532026	558874	266681
कुल	27172854	23761284	21405109

लघु तथा मध्यम दर्जे के किसानों को दिए गए ऋणों से संबंधित आंकड़े

699. **चोधरी हरमोहन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास ऐसे कोई अंकड़े नहीं है जिनसे यह पका लगाया जा सके कि छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को कितना-कितना ऋण दिया गया है।

(ख) इस प्रकार के ऋण आंकड़े न रखने के क्या कारण है; और

(ग) इस प्रकार के आंकड़े न रखने से देश में किसानों की भावी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस संबंध में सरकार की क्या परतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज):

(i) से (ग) छोटे और सीमांत किसानों को उनके स्वमीत्व की जोत की भुमी के आकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है।

कृषकों की दिए गए ऋण के आंकड़े, उनकी जोत की भुमी के आकार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वार्षिक आधार पर प्रकाशित "मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट" (खण्ड ।।) के एक अंश के रूप में प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष वित्त को कवर करने वाला विवरण (अल्पावधि ऋण समितियों और प्राशमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किए ऋण और अग्रिम।

वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के विस्तुत ब्यौरे निन्मानुसार हैं।

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	संवितरित राशि		बकाया राशि	
जून की अंतिम स्थिति	अल्पावधि ऋण	मीयादी ऋण	अल्पावधि ऋण	मीयादी ऋण
1993	1611	593	3243	3522
1994	1897	591	3484	3522
1995	2448	718	3900	3646

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण का प्रवाह सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मार्जिन राशि की आवश्यता, प्रतिभूती मानदण्डो आदि के बारे में प्राशमिकता क्षेत्र उधारकर्ताओं को कुछ रियायतें प्रदान की गई है। इन रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं;

(क) बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों से 10,000 रुपए तक के फसल ऋण/मीयादी ऋणों के लिए मार्जिन राशि नहीं लेनी चाहिए।

(ख) बैंकों को 25,000 रुपये तक के फसल ऋणों पर संपाशिर्वक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी के लिए जोर नहीं देना चाहिए। फसल के आहमान को प्रतिभति माना जा सकता है।

(ग) ब्याज की अदायगी के लिए केवल ऋण/निर्धारित किस्तों की वापसी अदायगी के समय ही बल देना चाहिए।

(घ) बैंकों को फसल ऋणों और मीयादी ऋणों के संबंध में इन किस्तों पर जो देय नहीं है, की चालू प्राप्य राशियों पर सम्मिश्र ब्याब नहीं लगाना चाहिए तथा ब्याज को गणना केवल वार्षिक आदार पर की जानी चाहीए।

(ङ) छोटे और सीमांत किसानों पर लगाया गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

काले धन के विरुद्ध अभियान

*700. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है; यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने धन का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार और अधिक काले धन का पता लगाने के लिए कोई विशेष कदन उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) सरकार द्वारा स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना दिनांक 1.7.97 से शुरु की गई है और यह योजना दिनांक 31.12.97 तक लागू रहेगी। यह योजना संसाधन जुटाने तथा अर्थव्यवस्था के प्राशमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों को लगाने और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विगत में कर का अपवंचन किया है, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने, उस पर उचित कर का भुगतान करने का अवसर प्रदान करने और भविष्य में उनके द्वारा ईमानदारी का रास्ता अपनाने तथा नागरिक दायित्व को निभाने के लिए लागू की गई थी। इसके साथ-साथ संदिग्ध कर अपवंचनों के मामलों में अनेक तलाशी एवं अभिग्रहण संबंधी कार्रवाईयां, पर्यवेक्षण, अभियोजना और गहन जांच-पडताल की गई है।

(j) इस संबंध में कोई सरकारी आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(k) और (घ) सरकार, कर अपवंचन की रोकथाम करने और विभाग के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर ऐसे आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी उपाय करती आ रही है, जिन्हें उचित समझा जाता है।

Outstanding Income Tax/Excise/Import Duty Claims of Industrial Houses in Maharashtra

701. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of industrial houses in Maharashtra against whom outstanding amount of income tax/excise/import duty claims remain unsettled for more than 5 crore as on 31st March, 1997;

(b) total amount of central excise, import duty and income tax claims pending in Maharashtra as on 31st March, 1997 with top ten defaulters and amount of default;

(c) whether special efforts are being organised to ensure early settlement of disputed cases to boost up Government revenue, details of the programme undertaken; and

(d) details of the results achieved so far as per latest review?